न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 09 / 2020

1 दिनेश कुमार पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ जाति सेनी निवासी ग्राम ज्ञानदासपुरा तन दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स / प्रतिवादी सं. 5

बनाम

1 दुर्गाप्रसाद पत्र देवाराम
2 संतोष देवी पत्नी दुर्गाप्रसाद
जाति जाट निवासी ग्राम ज्ञानदासपुरा तन दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस / वादीगण

3 मूली देवी पत्नी जगन्नाथ
4 पप्पू कुमार पुत्र स्व. जगन्नाथ
5 रमेश पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ
6 मुकेश पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ
7 भंवरी पुत्री स्व. जगन्नाथ
8 सुनीता पुत्री स्व. जगन्नाथ
9 टीना पुत्री स्व. जगन्नाथ
समस्त जाति माली निवासी ग्राम ज्ञानदासपुरा तन दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
10 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस / प्रतिवादी सं. 2 ता 9

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 24.03.2015 न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक दांतारामगढ़ (सीकर) बाबत मुकदमा उनवानी दुर्गाप्रसाद आदि बनाम मूली देवी वगै. दावा बंटवारा, उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा, मुकदमा नम्बर 179/2014 अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बाबूलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

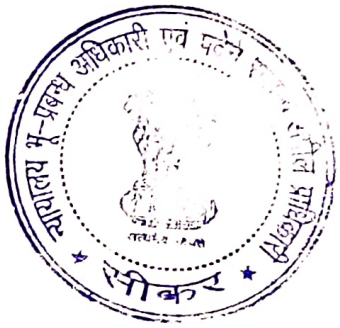

—निर्णय—

दिनांकः— 19/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 179/2014 में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/वादीगण ने एक किता दावा उनवानी दुर्गाप्रसाद बनाम मूली देवी आदि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. दांतारामगढ़ में मुकदमा नम्बर 172/2014 इस आशय का पेश किया कि ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में कृषि आराजी खसरा नम्बर 588 रकबा 0.51 है. अवस्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के खातेदारी, कब्जे काश्त की संयुक्त अविभाजित सम्पदा है इसमें से वादीगण का 1124/5100 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 3976/5100

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पक्षकारों में बाहमी बंटवारा नहीं रखा है इसलिए उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। उक्त वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा जरिये नोटिस तलब किया गया तथा दिनांक 20.03.2015 को प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानी जाकर इकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया तथा वास्ते साक्ष्य प्रकरण में दिनांक 24.03.2015 नियत की गयी। उक्त दिनांक 24.03.2015 को कोई साक्ष्य पेश की जाकर सीधे ही अधिवक्ता वादी को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र में वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के बंटवारे बाबत प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने एक वाद बंटवारा, उद्घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 588 वाके ग्राम जानदासपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांकित 24.03.2015 एकपक्षीय रूप से पारित की गयी जिस बाबत प्रार्थी/अपीलान्ट तथा अन्य प्रतिवादीगण को ज्ञान होने पर उनके द्वारा दिनांक 10.04.2015 को विचारण न्यायालय में जरिये वकील उपस्थित हाकर उक्त कार्यवही निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा स्थगन आदेश जारी किये जाने बाबत भी प्रार्थना की परन्तु उसके पश्चात लगातार उक्त पत्रावली में वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तारीख पेशीयां दी जाती रही है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का आज तक जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा आज तक कोई बंटवारा प्रस्ताव ना तो बनाया गया तथा ना ही कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बंटवारा प्रस्ताव विचारण न्यायालय में भिजवाया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय ने इन्हीं खसरा नम्बरों के साथ अन्य खसरा नम्बर को शामिल करते हुए एक अन्य दावा प्रतिवादीगण व अपीलान्ट द्वारा बउनवानी सुरेश बनाम दुर्गाप्रसाद वगे. मु.नं. /2015 भी बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सन 2015 से स्थगन आदेश भी जारी है। उक्त विवादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 मूल खातेदारी नहीं है बल्कि इनके द्वारा विवादग्रस्त आराजी का उक्त हिस्सा अपीलान्ट के पिता जगन्नाथ से खरीदना जाहिर किया गया है तथा उक्त विक्रय–पत्र को अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादीगण के समक्ष दीवानी न्यायालय व राजस्व न्यायालय में चुनौती दे रखी है जो प्रकरण विचारण न्यायालय में भी उनवानी सुरेश कुमार बनाम दुर्गाप्रसाद आदि विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी व अन्य प्रतिवादीगण को न्यायालय का कोई सम्मन कभी प्राप्त नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने साजशी पूर्वक फर्जी तामील करवाते हुए न्यायालय को मुगालता देकर अपीलार्थी व अन्य प्रतिवादीगण को उनके हक, हकूको से वंचित करने की कुमंशा से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 20.03.2015 को करवायी गयी तथा चार दिन बाद ही बिना कोई साक्ष्य पेश किये बाला बाला ही एकपक्षीय दावा भी डिक्री करवाया गया जो आदेश व डिक्री पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा परित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/वादीगण ने एक किता दावा उनवानी दुर्गाप्रसाद बनाम मूली देवी आदि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. दांतारामगढ़ में मुकदमा नम्बर 172/2014 इस आशय का पेश किया कि ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में कृषि आराजी खसरा नम्बर 588 रकबा 0.51 है. अवस्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के खातेदारी, कब्जे काश्त की संयुक्त अविभाजित सम्पदा है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इसमें से वादीगण का 1124/5100 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 3976/5100 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पक्षकारों में बाहमी बंटवारा हो रखा है इसलिए उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। उक्त वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा जरिये नोटिस तलब किया गया तथा दिनांक 20.03.2015 को प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानी जाकर इकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया तथा वास्ते साक्ष्य प्रकरण में दिनांक 24.03.2015 नियत की गयी। उक्त दिनांक 24.03.2015 को कोई साक्ष्य पेश की जाकर सीधे ही अधिवक्ता वादी को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र में वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के बंटवारे बाबत प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार था। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की चश्पांदगी से तामील हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा चश्पांदगी से तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलान्ट के पास चाराजोही का अवसर उपलब्ध है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद एवं गुणावगुण पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/वादीगण ने एक दिता दावा उनवानी दुर्गाप्रसाद बनाम मूली देवी आदि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फा.ट्रे. दांतारामगढ़ में मुकदमा नम्बर 172/2014 इस आशय का पेश किया कि ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में कृषि आराजी खसरा नम्बर 588 रकबा 0.51 है, अवस्थित है जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के खातेदारी, कब्जे काश्त की संयुक्त अविभाजित सम्पदा है इसमें से वादीगण का 1124/5100 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 3976/5100 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पक्षकारों में बाहमी बंटवारा हो रखा है इसलिए उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। उक्त वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा जरिये नोटिस तलब किया गया तथा दिनांक 20.03.2015 को प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानी जाकर इकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया तथा वास्ते साक्ष्य प्रकरण में दिनांक 24.03.2015 नियत की गयी। उक्त दिनांक 24.03.2015 को कोई साक्ष्य पेश की जाकर सीधे ही अधिवक्ता वादी को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र में वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के बंटवारे बाबत प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी।

विचारण न्यायालय ने सभी प्रतिवादीगण की प्रथम बार में जारी नोटिसों पर प्राप्त चश्पांदगी की तामील को पर्याप्त मानकर सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया है। विचारण न्यायालय की यह कार्यवाही सम्यक तामील नहीं मानी जा सकती है।

विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर